

फाइल संख्या A-20011/3/2018-सीसी  
भारत सरकार  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
डी. आई. आई. डी. (संगणक केंद्र)

ईस्ट ब्लॉक-10. सेक्टर-1.  
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066  
दिनांक: 01.06.2022

### कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत श्री राधाकृष्ण राव, वरिष्ठ आर्टिस्ट के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को 06.04.2021 से स्वीकार करते हैं।

- रिकॉर्ड के अनुसार, श्री आर. के राव, वरिष्ठ आर्टिस्ट के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं है।
- वह सीसीएस (पेंशन नियमों) के अनुसार सभी पेंशन-हितलाभ के पात्र हैं।

(राजीव आनंद)  
अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)  
दूरभाष:-011-26103956

श्री राधाकृष्ण राव, वरिष्ठ आर्टिस्ट

प्रेषित:

- उप महानिदेशक, प्रशासन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एस.पी. भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- अवर सचिव, प्रशासन-II, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एस.पी. भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पूर्वी खंड-6, आर के पुरम, नई दिल्ली।

4. रोकड़ अनुभाग, डीआईआईडी (संगणक केन्द्र), दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
5. पुस्तकालय/ केयरटेकर/ स्टोरकीपर, डीआईआईडी (संगणक केन्द्र)
6. वेब यूनिट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. नोटिस बोर्ड, और
8. गार्ड फाइल